न्यायालय – पुलिस आयुक्त इंदौर
रानीसराय, रीगल स्क्वेयर, इंदौर (म.प्र.)
दूरभाष 0731–2525600 ईमेल – cp.indore@mppolice.gov.in

क्रमांक/पु.आ./इं/जिविशा/ 11 /2022 इन्दौर, दिनांक 23.01.2022

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

मीडिया एवं अन्य जनसामान्य द्वारा यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि इन्दौर जिले में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाटसअप, ट्विटर आदि के माध्यम से असामाजिक तत्वों के कई समूहों द्वारा सामाजिक तानेबाने को तोड़ने, दो समुदायों के मध्य संघर्ष/वैमनस्यता की स्थिति निर्मित करने हेतु तरह–तरह के आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों व वीडियो एवं ऑडियो मैसेज का प्रसारण किया जा रहा है तथा प्रसारण के माध्यम से एक स्थान पर एकत्रित होने एवं एक समुदाय के विरुद्ध वातावरण निर्मित करने जैसे संदेशों का प्रसारण हो रहा है। इससे इन्दौर की सामुदायिक सद्भाव एवं शांति व्यवस्था के लिए प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त धार्मिक भावनाओं को उभारने एवं साम्प्रदायिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया आदि के माध्यम से यह तथ्य भी ध्यान में लाया गया कि पिछले दिनों एक आपत्तिजनक Face book Post के कारण धार्मिक वैमनस्यता एवं उससे उपजित अशांति के कारण गंभीर लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई थी। कई बार विरूपित चित्र या आपत्तिजनक दृश्य व्हाअटसप पर डालने से भी आम जन की भावनाये आहत होकर कई बार लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने की स्थितियां निर्मित हुई है। यहां यह उल्लेखनीय है कि आपत्तिजनक Post से उतनी वैमनस्यता का संचार नहीं होता है जितना कि उस पर आये Comments एवं Cross- Comments के कारण होता है। Internet पर एक प्रकार " वैमनस्यता की अभिव्यक्ति " ऐसे Post के माध्यम से होती है जिस पर हर कोई बिना विचार किये एवं बिना किसी दायित्व के द्वेषपूर्ण एवं अश्लील शब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। इस प्रकार के Internet Social Media Wars अभी भी सक्रिय हैं जिनसे लोक व्यवस्था एवं सामाजिक शांति भंग हो सकती है ।

गत् दिनों के घटनाक्रम से स्पष्ट है कि Face book post एवं उस पर Comment/ Like Whats App पर आपत्तिजनक साम्प्रदायिक Message एवं उनकी Forwarding , Twitter पर साम्प्रदायिक Message आदि से लोक शांति भंग करने में " Proximate and direct nexus" रखते है। यह आचरण वर्तमान परिवेश में लोक व्यवस्था को भंग कर सकता है, इस आचरण से उपजी प्रतिक्रिया किसी व्यक्ति विशेष को अपराध कारित करने के लिए उद्दिप्त (Incite) कर सकती है। इस प्रकार के आचरण तथा संभावित अवांछित परिणाम में निकटस्थ एवं प्रत्यक्ष संबंध विहित होकर इनका उपयोग अतिवादी संगठनों द्वारा विघटनकारी (Disruptive) गतिविधियों के लिये किया जा सकता है। इन समस्त कारणों से मानव जीवन व लोक सम्पत्ति की क्षति संभावित है। इस तरह की गतिविधियों से जन सामान्य के स्वास्थ्य जानमाल को खतरा आसन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणों से लोक शांति भंग होने की प्रबल आशंकाएं व्याप्त हो रही है। अतएव इस प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

Scanned with CamScanner

अतः अपने अधिकार क्षेंत्र में कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :—

अतः इन्दौर नगर (मेट्रोपोलिटन) की सीमा में किसी भी आपत्तिजनक व उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, Message करने पर, साम्प्रदायिक Message एवं उनकी Forwarding, Twitter, Face book, Whats App इत्यादि Social Media पर सामप्रदायिक Message आदि करने एवं इसी प्रकार की Post पर आपत्तिजनक Comment करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। चूंकि यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व इससे सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामीली की जा सके। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो, दिनांक 17 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

यह आदेश आज दिनांक 23 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रांकित कर जारी किया गया है।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त,
इंदौर,

क्रमांक/पु.आ./इं/जिविशा/ 12 /2022 इन्दौर, दिनांक 23.01.2022

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (कानून व्यवस्था/ अपराध एवं मुख्यालय) इन्दौर।
4. जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त इन्दौर।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।
7. समस्त अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर।
8. समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इन्दौर।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कनाड़िया, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी इन्दौर।
10. समस्त सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर।
11. समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस जिला इंदौर। प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का प्रचार–प्रसार करने तथा कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।
12. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त,
इंदौर,

Scanned with CamScanner